JALAUN POLICE

दिनांक– 17.07.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप हत्या के अभियोग में मान0 न्यायालय द्वारा 01 आरोपी को आजीवन कारावास एवं 20,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– वादी श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र विक्रम सिंह नि0 ग्राम जरगांव थाना सिरसाकलार जनपद जालौन द्वारा थाना सिरसाकलार में तहरीरी सूचना दी गयी थी कि दिनांक 15.05.2024 को आरोपीगण द्वारा वादी के भतीजे पुष्पेन्द्र पुत्र देवेन्द्र सिंह से गाली-गलौज कर चाकू से प्रहार करना, जिससे गम्भीर चोटें आना।

वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक 16.05.2024 को थाना सिरसाकलार पर मु0अ0सं0 80/24(वाद संख्या 144/24) धारा- 307/504/506 भादवि बनाम 1- गोलू पुत्र जनक सिंह तोमर 2- केशव सिंह तोमर पुत्र रघुवीर सिंह 3- माधव सिंह तोमर पुत्र केशव सिंह 4- शिवा उर्फ शिव बहादुर नि0गण ग्राम जरगांव थाना सिरसाकलार जनपद जालौन के अभियोग पंजीकृत हुआ था, विवेचना के दौरान साक्ष्य/ तथ्यों के आधार पर धारा 302/34 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी कर धारा- 307/504/506 भादवि का लोप किया गया था। दिनांक 18.05.2024 को अभियुक्त गोलू उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहो के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण कर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध दिनांक 16.08.2024 को आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 17.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त गोलू उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 20,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा शिव बहादुर, माधव सिंह तोमर व केशव सिंह तोमर को दोषमुक्त किया गया है।